



प्रगति प्रतिवेदन

2008—2009

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

प्रगति प्रतिवेदन

2008—2009



अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	निदेशक मण्डल	
1.	प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व	
2.	योजनावार पूँजीगत व्यय	
3.	योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियां	
	विचाराधीन विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवमं निजी क्षेत्र)	
5.	विद्युत उत्पादन क्षमता	
6.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	
7.	ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति	
8.	निगम में नियोजित कर्मचारी	
9.	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की पालना	
10.	प्रसारण कम्पनी में निहित कुल आस्तियां और दायित्व	
11.	निगम का संगठनात्मक चार्ट	
12.	चरम मांग	

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड

कम्पनी – निदेशक मण्डल

श्री सुधांशु पंत , आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री रजत मिश्रा , आई.ए.एस.	निदेशक
श्री एन. पी. गंगवार, आई.ए.एस.	निदेशक
श्री आर. जी. गुप्ता	निदेशक
श्री एम. एल. गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री वाय.के. रायजादा	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस. सी. धवन	निदेशक (संधारण)

श्री विजय माथुर

कम्पनी सचिव

1. प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व

1.1 इस कम्पनी के मुख्य दायित्व निम्न प्रकार से हैं :

1. 400 के.वी., 220 के.वी. व 132 के.वी. विद्युत प्रसारण लाइनों एवं सब-स्टेशनों का निर्माण, परिचालन एवं संचालन संबंधित कार्य ।
2. ऊर्जा के व्हीलिंग एवं तंत्र संचालन संबंधित कार्य ।
3. विद्युत संबंधित सूचना और आंकड़ों का संकलन, अध्ययन एवं अन्वेषण, आधुनिकीकरण आदि के लिए अध्ययन एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करना ।
4. राजस्थान पावर परचेज सेन्टर एवं उत्पादन गृहों से परामर्श कर भार का पुर्वानुमान करना एवं उत्पादन लक्ष्य सूचित करना ,आदि ।

1.2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी होने के कारण केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत क्रय-विक्रय का कार्य नहीं कर सकता । इसलिये रा.रा. विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय-विक्रय केन्द्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन, समन्वय एवं सलाह का जो कार्य प्रसारण निगम करता आ रहा था, वह कार्य अप्रैल, 2004 से राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । विद्युत वितरण कम्पनियां एक केन्द्रीय सेल, राजस्थान पावर परचेज सेन्टर (आर.पी.पी.सी.), के माध्यम से यह कार्य कर रही हैं ।

2. योजनावार पूँजीगत व्यय

2.1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को पूँजीगत कार्यो हेतु अधिक से अधिक धन राशि उपलब्ध करवाई गयी । प्रसारण क्षति को कम कर उपलब्धता बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी रहे, तदनु रूप पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत एक बड़ा भाग प्रसारण तंत्र मद में खर्च किया गया ।

2.2 पंचवर्षीय योजनावार प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय :

क्र. सं.	योजना	विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आवंटन (करोड रु.)	प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय (करोड रु.)
1	छठी योजना	641	135
2	सातवीं योजना	1069	209
3	वार्षिक योजना (1990-91)	276	62
4	वार्षिक योजना (1991-92)	335	70
5	आठवीं योजना	3913	883
6	नवीं योजना	6000	1047
7	दसवीं योजना	7777 (उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 2145 करोड रूपये)	1872
8	ग्यारहवीं योजना	25205(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 4600'करोड रूपये)	1938.93(प्रोविजनल) (मार्च,2009तक)

'इसमें संक्रमण काल अवधि के दौरान दी जाने वाली नकद सहायता राशि 2000 करोड रु सम्मिलित नहीं है।

2.3 वर्ष 2007-08 व 2008-09 के लिये प्रसारण मद में पूँजी व्यय की तुलनात्मक स्थिति (करोड रु.)

क्र सं.	विवरण	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09
1	योजना प्रावधान	622.00	825.00
2	गैर योजना प्रावधान	51.19	261.07
3	कुल प्रावधान	673.19	1086.07
4	कुल व्यय (प्रोविजनल)	712.92	1226.01 (प्रोविजनल)

3. योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

3.1 पूँजी निवेश :

वर्ष 2008-09 में, राज्य की वार्षिक योजना में प्रसारण निगम के कार्यों हेतु 825 करोड रु. के आवंटन तथा कुल योजनागत एवं अतिरिक्त योजनागत 1086.07 करोड रु. के नवीनतम बजट अनुमानों के सापेक्ष 1226.01 करोड रु. (प्रोविजनल) का व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड रूपयों में)

मद	आवंटन/प्रावधान वर्ष 2008-09			कुल व्यय (प्रोविजनल)		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
1.उत्पादन (सर्वे एवं जांच कार्य सहित)	10.00	13.52	23.52	8.99	—	8.99
2. प्रसारण एवं अन्य	815.00	247.55	1062.55	815.98	401.04	1217.02
योग	825.00	261.07	1086.07	824.97	401.04	1226.01

3.2. भौतिक लक्ष्य :

वर्ष 2008-09 के दौरान उच्च प्रसारण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

मद	इकाई	वर्ष 2008-09	
		लक्ष्य (संशोधित)	वर्षान्तर उपलब्धि
क. लाईन कार्य			
400 के.वी.	परिपथ कि.मी.	600	442.243
220 के.वी.	परिपथ कि.मी.	450	469.699
132 के.वी.	परिपथ कि.मी.	350	524.776
ख. नये सब स्टेशन:			
400 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	—	—
220 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	5 / 500	5 / 500
132 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	12 / 300	12 / 375'
ग. पुराने सब-स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन	एम.वी.ए.	800	1700.0
घ. कैपेसिटर्स	एम.वी.ए.आर.	5.43	5.43

'इसके अतिरिक्त 132/33 के.वी. वोल्टेज अनुपात के दो ट्रांसफार्मर 40/50 एवं 20/25 एम.वी.ए. क्षमता के वी.के.आइ.ए. सब-स्टेशन पर, एवं एक ट्रांसफार्मर 20/25 एम.वी.ए. क्षमता का नीमराना 220के.वी. स्टेशन पर तथा एक ट्रांसफार्मर 20/25 एम.वी.ए. क्षमता का प्लान के अन्तर्गत 132के.वी. स्टेशन थाडोली पर लगाया गया।

3.3 उच्च प्रसारण क्षमता की योजनावार प्रगति :

मद	इकाई	सातवीं योजना (1989-1990) के अन्त में	आठवीं योजना (1996-1997) के अन्त में	नवीं योजना (2001-2002) के अन्त में	दसवीं योजना (2006-2007) के अन्त में	ग्यारहवीं योजना	
						वर्ष (2007-2008) के अन्त में	वर्ष (2008-2009) के अन्त में
क. उच्च प्रसारण लाइनें							
400के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	—	286.98	620.18	915.38	1357.62
220के.वी.	परिपथ कि.मी.	3532.49	5691.22	6923.10	8418.25	8851.19	9320.89
132के.वी.	परिपथ कि.मी.	6817.41	9187.71	10562.40	12016.25	12250.54	12775.32
66के.वी.	परिपथ कि.मी.	303.06	303.06	303.06	—	—	—
ख. ग्रिड सब-स्टेशन							
400के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 500	1 / 750	2 / 1380	4 / 2955	4 / 2955	4 / 2955
220के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	13 / 2320	30 / 5005	42 / 8005	54 / 10405	57 / 10605	62 / 11705
132के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	107 / 2699	160 / 5869	197 / 8294	259 / 11829.5	270 / 12542.5	280 / 14142.5
66 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 37	1 / 43	1 / 40	— / 32	— / 32	— / 32

3.4. चालू वित्तीय वर्ष की भौतिक उपलब्धियों :

आलोच्य वर्ष में पूर्ण की गयी नयी उच्च प्रसारण लाइनों, चालू किये गये नये ग्रिड सब-स्टेशनों तथा ग्रिड सब स्टेशनों की क्षमता परिवर्द्धन संबंधी पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :

3.4.1 नयी उच्च प्रसारण लाइनें :

विवरण	परिपथ एक/ दो	लम्बाई (परिपथ कि.मी.)	पूर्ण किये जाने की तिथि
400 के.वी. लाइनें			
1.रतनगढ-मेडता	एक	181.243	09.05.08
2.छबडा-दहरा(प्रथम सर्किट)	दो	130.500	31.01.09
2.छबडा-दहरा(द्वितीय सर्किट)	दो	130.500	13.02.09
योग:		442.243	
220 के.वी. लाइनें			
1.लीलो-220 के.वी. हीरापुरा- कूकस लाइन-220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन वी.के.आइ.ए.पर	दो	1.974	09.08.08
2.भिवाडी-नीमराना	एक	51.828	21.09.08
3.लीलो-220के.वी.अलवर-भिवाडी लाइन -220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन खुशखेडा पर	दो	4.716	21.09.08
4.लीलो-220के.वी.भिवाडी-नीमराना लाइन-220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन खुशखेडा पर	दो	7.616	21.09.08
5.हीरापुरा-बस्सी लाइन के एक सर्किट का खोलना, 220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन सांगानेर एवं फुलेरा को जोडने के लिये	एक	59.398	13.06.08
6.लीलो-220के.वी.छबडा-बारां-दहरा लाइन-220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कवाई पर	दो	2.080	21.06.08
7.लीलो-220के.वी.अजमेर-फुलेरा लाइन -220के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन किशनगढ पर	दो	0.234	07.06.08
8.बरसिंहसर-खींवसर	एक	102.311	27.10.08
9.लीलो-220के.वी.गिरल-बाडमेर प्रथम सर्किट,राजवेस्ट के लिये	दो	5.448	09.07.08
10.धोरीमन्ना-भीनमाल	एक	92.483	05.01.09
11.राजवेस्ट-बाडमेर	दो	27.448	16.03.09(सर्किट), 20.03.09(सर्किट प्)
12.एस.टी.पी.एस.सूरतगढ-भादरा	एक	114.163	31.03.09
योग:		469.699	
132 के.वी. लाइनें :			
1. कोटपूतली-मै.ग्रेसिम इंडस्ट्रीज	एक	5.084	24.04.08
2.खुशखेडा -होन्डा सियल(डिपोजिट कार्य)	दो	1.612	09.09.08

3. गोविन्दगढ-कालाडेरा	एक	10.108	04.07.08
4.लीलो-132के.वी.सवाईमाधोपुर-श्योपुर लाइन, खन्डार के लिये	दो	25.934	05.07.08
5.दूनी-थाडोली (द्वितीय सर्किट)	एक	30.357	.10.07.08
6.लीलो,देवली-मॉझी के लिये	दो	3.568	30.07.08
7.अकलेरा-मनोहरथाना	एक	37.890	24.12.08
8.खुशखेडा ग्रिड सब-स्टेशन -मै. नाहर इन्डस्ट्रीज	एक	5.756	16.06.08
9. लीलो-132के.वी.बहरोड-शाहजहांपुर लाइन, नीमराना के लिये	दो	2.552	03.10.08
10. करौली-सपोटरा	एक	35.458	02.03.09
11.लीलो-132के.वी.मोडक-झालावाड लाइन,132के.वी.मायलारामगंजमंडी ग्रिड सब -स्टेशन के लिये	दो	8.990	10.03.09
12.मादरी-रिलायन्स केमोटेक्स	एक	2.250	16.05.08
13.लीलो-132के.वी.अजमेर-किशनगढ लाइन,220के.वी.किशनगढ ग्रिड सब -स्टेशन के लिये	दो	10.122	28.11.08
14. लीलो-आर.पी.एस.-मांडलगढ लाइन,बीगोद सब-स्टेशन के लिये	दो	1.680	26.01.09
15.लीलो-132के.वी. किशनगढ -मालपुरा लाइन, 132के.वी.सिलोरा ग्रिड सब -स्टेशन के लिये	दो	13.152	24.03.09
16.पाली-सोजत सिटी	एक	31.945	10.06.08
17.फलोदी-आऊ	एक	51.573	14.07.08
18.फलोदी-लोहावट	एक	26.900	19.07.08
19. फलोदी-आऊ और फलोदी-लोहावट लाइन के लिये कॉमन दो परिपथीय हिस्सा	दो	13.794	14.07.08 ¹ 19.07.08
20.डेचू-कलाउ	एक	26.912	23.10.08
21.लोहावट-माटोरा	एक	27.895	24.11.08
22.शिओ-उन्डू	एक	47.980	01.12.08
23.घरसाना-खाजुवाला	एक	61.854	26.09.08
24.सुजानगढ-पारेवारा	एक	37.210	14.02.09
25. लीलो-132के.वी. भादरा -सादुलपुर लाइन, 220के.वी.भादरा ग्रिड सब -स्टेशन के लिये	दो	4.200	30.03.09
योग:		524.776	

3.4.2 नये ग्रिड सब-स्टेशन तथा विद्यमान स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन :

ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	वोल्टेज अनुपात	क्षमता (एम.वी.ए.)	चालू करने की दिनांक
अ. नवीन :			
220 के.वी.			
1.वी.के.आई.ए.	220 / 132 / 11	100	12.08.08
वी.के.आई.ए.	132 / 33	20 / 25	30.08.08
वी.के.आई.ए.	132 / 33	40 / 50	09.03.09
2.कवाई	220 / 132	100	09.06.08
3.नीमराना	220 / 132	100	21.09.08
नीमराना	132 / 33	20 / 25	28.07.08
4.किशनगढ	220 / 132	100	12.08.08
5.खुशखेडा	220 / 132	100	03.01.09
योग:	220 / 132 / 11	100	
	220 / 132	400	
	132 / 33	100	
132 के.वी.			
1. कलाउ	132 / 33	20 / 25	23.10.08
2. खाजुवाला	132 / 33	20 / 25	06.10.08
3. माटोरा	132 / 33	20 / 25	27.11.08
4. उन्डू	132 / 33	20 / 25	01.12.08
5.देवली माँझी	132 / 33	20 / 25	15.12.08
6.मनोहरथाना	132 / 33	20 / 25	19.02.09
7.पारेवारा	132 / 33	20 / 25	14.02.09
8.सपोटरा	132 / 33	20 / 25	04.03.09
9.बीगोद	132 / 33	20 / 25	23.03.09
10.सिलोरा	132 / 33	20 / 25	24.03.09
11.मायलारामगंजमंडी	132 / 33	20 / 25	27.03.09
12.एस.एम.एस.स्टेडियम	132 / 33	20 / 50	31.03.09
योग:		375	
थाडोली(विद्यमान ग्रिड सब-स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांस.)	132 / 33	20 / 25	19.11.08
क्षमता परिवर्द्धन :			
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. अमरसागर	132 / 33	20 / 25	07.07.08
2. कोटपूतली	132 / 33	20 / 25	27.09.08
3. अलवर	132 / 33	40 / 50	25.10.08
अलवर	132 / 33	-16 / 20	
4. सांगानेर	132 / 33	40 / 50	22.10.08
सांगानेर	132 / 33	-10 / 12.5	
5. ब्यावर	220 / 132	100	19.10.08
ब्यावर	220 / 132	-50	

6. बीकानेर	132 / 33	40 / 50	18.10.08
बीकानेर	132 / 33	-20 / 25	
7. धौलपुर	132 / 33	20 / 25	26.09.08
धौलपुर	132 / 33	-10 / 12.5	
8. चित्तौडगढ	132 / 33	40 / 50	11.11.08
चित्तौडगढ	132 / 33	-20 / 25	
9. निम्बाहेडा	132 / 33	20 / 25	03.11.08
निम्बाहेडा	132 / 33	-10 / 12.5	
10. फलौदी	220 / 132	50	06.11.08
11. कुचामनसिटी	220 / 132	100	29.12.08
12. किशनगढ	132 / 33	20 / 25	31.12.08
13. अलवर	220 / 132	100	12.02.09
अलवर	220 / 132	-50	
14. दहरा	220 / 132	100	26.02.09
15. दूनी	132 / 33	6 / 8	13.02.09
16. श्रीडूंगरगढ	132 / 33	40 / 50	21.02.09
17. खीवसर	220 / 132	100	13.03.09
18. बीकानेर	220 / 132	100	21.03.09
बीकानेर	220 / 132	-50	
19. रतनगढ	132 / 33	20 / 25	15.03.09
20. सवाईमाधोपुर	220 / 132	100	19.03.09
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. भवानीमंडी	132 / 33	20 / 25	24.06.08
भवानीमंडी	132 / 33	-10 / 12.5	
2. नदबई	132 / 33	20 / 25	16.07.08
नदबई	132 / 33	-10 / 12.5	
3. भांकरोटा	132 / 33	20 / 25	22.08.08
भांकरोटा	132 / 33	-10 / 12.5	
4. एन.पी.एच.	132 / 33	40 / 50	18.09.08
एन.पी.एच.	132 / 33	-20 / 25	
5. मानसरोवर	132 / 33	40 / 50	13.12.08
मानसरोवर	132 / 33	-20 / 25	
6. पुरानाघाट	132 / 33	40 / 50	11.12.08
पुरानाघाट	132 / 33	-14 / 20	
7. बानसुर	132 / 33	20 / 25	31.12.08
बानसुर	132 / 33	-10 / 12.5	
8. भिवाडी	132 / 33	20 / 25	12.12.08
भिवाडी	132 / 33	-10 / 12.5	
9. मनोहरपुर	132 / 33	20 / 25	10.09.08
10. करौली	132 / 33	20 / 25	15.10.08
करौली	132 / 33	-10 / 12.5	
11. बस्सी	132 / 33	20 / 25	20.10.08

बस्सी	132 / 33	-10 / 12.5	
12.किशनगढबास	132 / 33	20 / 25	27.10.08
किशनगढबास	132 / 33	-10 / 12.5	
13.खानपुर	132 / 33	20 / 25	13.10.08
खानपुर	132 / 33	-10 / 12.5	
14.कवाई	132 / 33	20 / 25	31.10.08
कवाई	132 / 33	-10 / 12.5	
15. डीग	132 / 33	10 / 12.5	24.11.08
16. बूंदी	132 / 33	10 / 12.5	11.12.08
17. बहरोड	132 / 33	10 / 12.5	19.01.09
18. तिजारा	132 / 33	20 / 25	13.02.09
19. केलवाडा	132 / 33	10 / 12.5	07.02.09
20. औधोगिक क्षेत्र, कोटा	132 / 33	40 / 50	06.03.09
औधोगिक क्षेत्र, कोटा	132 / 33	-14.6 / 20	
21.शाहपुरा	132 / 33	20 / 25	30.06.08
शाहपुरा	132 / 33	-10	
22.गुढागोरजी	132 / 33	20 / 25	27.08.08
गुढागोरजी	132 / 33	-10 / 12.5	
23.पिलानी	132 / 33	20 / 25	25.10.08
पिलानी	132 / 33	-10 / 12.5	
24.सुवाना	132 / 33	20 / 25	19.11.08
सुवाना	132 / 33	-10 / 12.5	
25.नावासिटी	132 / 33	10 / 12.5	27.11.08
26.मोखमपुरा	132 / 33	20 / 25	13.12.08
27.सूरजगढ	132 / 33	20 / 25	01.12.08
सूरजगढ	132 / 33	-10 / 12.5	
28.कपासन	132 / 33	20 / 25	17.01.09
29.खाचरियावास	132 / 33	20 / 25	30.11.08
खाचरियावास	132 / 33	-10 / 12.5	
30.मादरी	132 / 33	40 / 50	19.02.09
31.हेसाबा	132 / 33	20 / 25	21.02.09
32.ब्यावर	132 / 33	20 / 25	20.02.09
ब्यावर	132 / 33	-10 / 12.5	
33.सालासर	132 / 33	10 / 12.5	08.04.08
34.सांकड	132 / 33	20 / 25	12.04.08
सांकड	132 / 33	-10 / 12.5	
35.सरदारशहर	132 / 33	20 / 25	24.05.08
सरदारशहर	132 / 33	-10 / 12.5	
36.भीनमाल	132 / 33	10 / 12.5	12.06.08
37.भीनासर	132 / 33	20 / 25	14.07.08
38.देशनोक	132 / 33	10 / 12.5	23.08.08
39.सावा	132 / 33	20 / 25	26.10.08

40.ओसियां	132 / 33	20 / 25	14.11.08
ओसियां	132 / 33	-10 / 12.5	
41.मोमासर	132 / 33	20 / 25	21.11.08
42.पीलीबंगा	132 / 33	20 / 25	12.01.09
पीलीबंगा	132 / 33	-10 / 12.5	
43.सी.एच.बी.	132 / 33	40 / 50	21.01.09
सी.एच.बी.	132 / 33	-20 / 25	
44.सोयला	132 / 33	20 / 25	24.01.09
सोयला	132 / 33	-10 / 12.5	
45.भीनासर	132 / 33	20 / 25	29.01.09
भीनासर	132 / 33	-10 / 12.5	
46.अमरपुराथेरी	132 / 33	20 / 25	17.03.09
अमरपुराथेरी	132 / 33	-10 / 12.5	
47.चूरु	132 / 33	10 / 12.5	21.04.08
चूरु	132 / 33	-2ग6	
48.बज्जू	132 / 33	10 / 12.5	25.07.08
बज्जू	132 / 33	-5 / 7.5 / 12.5	22.03.08
49.पोखरण	132 / 33	10 / 12.5	18.09.08
पोखरण	132 / 33	-6	
50.कछावा	132 / 33	20 / 25	05.09.08
कछावा	132 / 33	-16 / 20	
कुल क्षमता परिवर्द्धन (220के.वी. एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों पर)		1700.0	

4. विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवं निजी क्षेत्र)

4.1 भागीदारी योजनायें :

क. राहूघाट विद्युत परियोजना-कास्केड चम्बल पन विद्युत परियोजना :-

राहूघाट परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर करौली क्षेत्र में चार बांध बनाने व उन पर स्थापित विद्युत गृहों से फर्म 79 मेगावाट(सम्भावित) विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है । चम्बल नदी, राजस्थान व मध्य प्रदेश से बहती है व उक्त क्षेत्र में दोनों प्रदेशों की सीमा है । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय तथा मिलने वाले लाभ में राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50:50 के आधार पर भागीदारी होगी । परियोजना का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य करने हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति दिनांक 6.9.2005 को प्राप्त हो गयी थी। तदोपरान्त राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने विचार विमर्श करके सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तथा इ.आई.ए.स्टेडिज (म्पै.जनकपमे) का कार्य जल एवं विद्युत परामर्शी सेवायें (भारत) मर्यादित (िबै) द्वारा सम्पादित करवाने का निर्णय किया। केन्द्रीय जल आयोग को सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य तथा मैसर्स िबै को पर्यावरण अध्ययन हेतु कार्यादेश की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान ने सितम्बर,2006 में सूचित किया कि सर्वेक्षण एवं पर्यावरण अध्ययन किये जाने के पूर्व राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल तथा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है,चूंकि परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय घडियाल अभ्यारण का भाग है।

राज्य वन्य जीव मण्डलकी तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के सर्वे एवं अनुसंधान कार्य हेतु दिनांक 24.07.2007 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। राज्य के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 12.09.2007 को भेजा जा चुका है। वन्य जीव मण्डलकी ग्यारवीं एवं बारहवीं बैठक दिनांक 22.05.2008 व 18.08.2008 में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डलके तीन सदस्यों की समिति जा कर प्रस्तावित हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में वन्य जीव मण्डल समिति के सदस्यों ने दिनांक 08.12.2008 से 10.12.2008 तक प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात दिनांक 12.12.2008 को सम्पन्न हुई राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की तेरहवीं बैठक में उन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल की मीटींग में चारों प्रस्तावित हाइडल प्रोजेक्टस की सर्वे एवं अनुसंधान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निरस्त कर दिया । अतः इन प्रोजेक्टस का पुनः तकनीकी परीक्षण करवाकर, सर्वे एवं अनुसंधान हेतु जीव मण्डल की स्वीकृति हेतु पुनः यथासंभव कार्यवाही की जावेगी।

ख. पार्वती पन विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण 800 मेगावाट व तृतीय चरण 520 मेगावाट) :

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली राज्यों के बीच पार्वती पन विद्युत परियोजना को लेकर 20 अक्टूबर, 1992 को हुए सहमति पत्र के अन्तर्गत राजस्थान को 40 प्रतिशत हिस्सा तय हुआ था । बाद में यह परियोजना नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन को स्थानान्तरित हो गयी । इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा सुरक्षित रखने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 4 मई,2002 को रा. रा.वि.प्र.नि. को केन्द्रीय आवंटन फार्मूले के अनुसार परियोजना के चरण द्वितीय एवं तृतीय से विद्युत कय अनुबंध करने के लिये अधिकृत किया गया । दिनांक 8 मई, 2003 को राष्ट्रीय जल विद्युत

निगम तथा प्रसारण निगम के मध्य पार्वती जल विद्युत परियोजना (चरण द्वितीय एवं तृतीय) से विद्युत क्रय करने हेतु एक विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए । पूर्व में किये गये समझौते के मध्यनजर इस अनुबंध में यह प्रावधान किया गया है कि इससे पूर्व में किये गये समझौते में तय किये गये राजस्थान के अधिक हिस्से की दावेदारी को अनदेखा नहीं किया जावेगा ।

ग. कोल बांध जल विद्युत परियोजना :

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार के मध्य कोल बांध जल विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) पर सहमति हेतु एक करार पर 30 जून,1984 को हस्ताक्षर हुए । समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना पर कार्य नहीं हो सका । बाद में उक्त परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को दे दिया गया । इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु एन.टी.पी.सी. से दिनांक 10.9.2002 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत राजस्थान को केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार विद्युत आवंटन होगी ।

4.2 केन्द्रीय उपक्रम के आधीन विद्युत उत्पादन योजना :

बरसिंहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना :

राजस्थान के पश्चिमी भाग के जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर एवं नागौर जिलों में लिग्नाईट के विपुल भण्डार, लगभग 2500 मिलियन टन है, जिनसे 1500 से 2000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन संभावित है । लिग्नाईट के इन विपुल भण्डारों के दोहन हेतु राज्य सरकारें समय समय पर प्रयासरत रही हैं। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने बरसिंहसर, जिला बीकानेर में लिग्नाईट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन एवं कोयला मंत्रालय के साथ एक एम.ओ.यू. पर दिनांक 10.6.2002 को हस्ताक्षर किये हैं । इसके तहत प्रथम चरण में मैसर्स एन.एल.सी., बरसिंहसर में, बरसिंहसर एवं पलाना ब्लाक्स के लिग्नाईट भण्डार का उपयोग कर, 2ग125 मेगावाट की यूनिट लगायेगी, जिससे उत्पादित होने वाली पूर्ण ऊर्जा राजस्थान राज्य को आवंटित की जा चुकी है । इस परियोजना हेतु विद्युत क्रय अनुबंध पर मैसर्स एन.एल.सी., प्रसारण निगम एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य दिनांक 8.10.2003 को हस्ताक्षर हुए हैं । भारत सरकार ने दिनांक 15.12.2004 को इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2.3.2006 को माइनिंग लीज की स्वीकृति जारी कर दी गयी तथा 30.8.2006 को माइनिंग लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। मैसर्स एन.एल.सी. द्वारा इस परियोजना हेतु आवश्यक निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये हैं तथा परियोजना के प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर,2008 तक पूर्ण होना प्रस्तावित था, लेकिन मै.नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन ने जून,09 तक विद्युत उत्पादन के लिए कहा है जिसके लिए वे प्रयत्नशील हैं।

4.3 निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन योजनायें:

कपूरडी एवं जालीपा:

मैसर्स वेस्ट पावर ,जयपुर को इन दो स्थानों में विद्युत गृह स्थापना के लिये दिनांक 13.11.96 को स्पॉन्सर घोषित किया गया था। उक्त कम्पनी ने राज्य के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट व रा.रा.वि.प्र.नि. के साथ विद्युत क्रय समझौता नहीं किया था। राज्य सरकार ने मैसर्स वेस्ट पावर को कन्सोर्टियम को अन्तिम रूप देने एवं विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु 30.04.2003 तक का अन्तिम समय दिया था तथा कम्पनी को यह लिख दिया था कि उक्त दिनांक तक अनुबंध न होने पर परियोजना को बन्द समझा जावेगा। किन्तु परियोजना की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा 28.01.06 को मैसर्स वेस्ट पावर को 9 माह की अवधि में कन्सोर्टियम का गठन करने एवं राज्य की विद्युत कम्पनियों के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित करने का समय दिया। मैसर्स वेस्ट

पावर ने राज्य सरकार के साथ इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंट पर 29.05.06 को व विद्युत वितरण निगमों के साथ 26.10.06 को 1000 मेगावाट क्षमता के लिये विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा परियोजना की लागत, ईंधन दर एवं विद्युत दर का सैद्धान्तिक निर्धारण कर दिया गया है। परियोजना का वित्तीय समापन हो गया है तथा परियोजना हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं। लिग्नाइट के खनन हेतु मैसर्स आर.एस.एम.एम.एल. के साथ सहयोगी कम्पनी बना ली गयी है। इस परियोजना की प्रथम इकाई (125 मे.वा.) से विद्युत उत्पादन जून/जुलाई, 2009 में संभावित है। इसके पश्चात हर दो माह बाद अगली इकाई से विद्युत उत्पादन अपेक्षित है।

4.4 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत नीति के तहत परियोजनायें:

क. पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र :

पवन ऊर्जा के विकास हेतु इंडियन इन्सटिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेटेरोलोजी ने 26 जगह चिन्हित की है जो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बाडमेर, जोधपुर व सीकर जिलों में स्थित है। इस स्रोत की विशेषता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गैर परम्परागत विद्युत स्रोत से विद्युत उत्पादन नीति के अलावा, पवन ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन हेतु फरवरी, 2000 में अलग से नीति जारी की थी। इसके अन्तर्गत राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्रों से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति के तहत 86.48 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

अप्रैल, 2003 में नयी पवन ऊर्जा आधारित नीति जारी की गयी। इस नीति के तहत 250 मेगावाट विद्युत क्रय का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति के तहत 198.29 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

अक्टूबर, 2004 में राज्य सरकार ने नई गैर पारम्परिक ऊर्जा नीति जारी की जिसे अप्रैल, 2007 में संशोधित किया गया जिसके तहत पूर्व की नीतियों सहित कुल 734.695 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

ख. अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनायें:

राज्य सरकार ने सौर, पवन, भूसी, बायोमास संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की महत्ता को ध्यान में रखते हुये गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिये एक नीति जारी की जिसके तहत राज्य में बायोमास, सरसों की भूसी पर आधारित कुल 31.3 मेगावाट की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। इसमें कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने श्रीगंगानगर में 7.8 मे.वा. क्षमता का एवं टोंक जिले में 8 मे.वा. क्षमता का विद्युत गृह स्थापित किया है। मै. चम्बल पावर लिमिटेड ने कोटा जिले में 7.5 मे.वा. क्षमता का व मै. अमृत एन्वायरमेंटल टेक्नोलोजी प्रा.लि. ने कोटपुतली में 8 मे.वा. क्षमता का विद्युत गृह स्थापित किया है।

5. विद्युत उत्पादन क्षमता

5.1 वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 6420.69 मेगावाट थी । वर्ष 2008-09 मे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित गिरल तापीय विद्युत परियोजना की द्वितीय इकाई से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 125 मेगावाट की तथा सूरतगढ तापीय परियोजना की छठी इकाई से 250 मेगावाट की वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त जिला जैसलमेर में पवन विद्युत गृहों की स्थापना से 199.6 मेगावाट की वृद्धि हुई है । केन्द्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा संचालित कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना से राज्य के आवंटन में 24.3 मेगावाट की वृद्धि हुई है । वर्ष 2008-09 के अन्त तक राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 7019.58 मेगावाट(प्रोविजनल) रही ।

5.2 राज्य को उपलब्ध उत्पादन क्षमता का स्रोतवार विवरण निम्नानुसार है :-

(मेगावाट)

स्रोत	वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर	वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर
1.राज्य के भागीदारी/ स्वयं द्वारा संचालित :		
क. तापीय	2545.00	2920.00
ख. पन	1011.80	1011.80
ग. गैसीय	443.50	443.50
योग-1	4000.30	4375.30
2.केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य को आवंटित		
क. तापीय	698.39	722.69
ख. पन	465.49	465.49
ग. गैसीय	221.10	221.10
घ. आणविक	469.00	469.00
योग-2	1853.98	1878.28
3. आर.आर.ई.सी. द्वारा संचालित : पवन	41.55	41.55
4. आर.एस.एम.एम. लि. व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित : पवन	493.55	693.15
5. मैसर्स कल्पतरू प्रा.लि. द्वारा संचालित: बायोमास	15.80	15.80
6. मैसर्स चम्बल पावर लि. द्वारा संचालित: बायोमास	7.50	7.50
7. मैसर्स अमृत एन्वायर प्रा.लि. द्वारा संचालित: बायोमास	8.00	8.00
योग(1+2+3+4+5+6+7)	6420.68	7019.58

6. विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

6.1 विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर राष्ट्रीय आम सहमति एवं न्यूनतम आवश्यक राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 1998 में भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को कार्यान्वित किया । विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान अग्रिम श्रेणी में रहा है । विद्युत क्षेत्र में दायित्वों के विशिष्टीकरण, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता तथा निर्णायक उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, तथा क्षेत्र के प्रभावी, कार्य-कुशल एवं स्वतंत्र नियमन के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2000 को राज्य विद्युत मंडल के कार्यों का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निम्न, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण की तीन अलग-अलग कम्पनियों में विभाजन कर गठित किया गया :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

6.2 राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम के अनुरूप, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण 19 जून, 2000 को हो गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 19 जुलाई, 2000 को आदेश जारी कर अधिनियम, 1910 की धारा 27 (बी) के तहत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) घोषित किया ।

6.3 विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन :

अ. राज्य सरकार ने दिनांक 29.1.2004 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39(1) के अधीन राज्य प्रसारण निकाय (एसटीयू) घोषित किया है ।

ब. भारत सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 लागू कर दिया गया है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एसटीयू (प्रसारण कम्पनी) विद्युत के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाकलाप नहीं कर सकेगी । इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 द्वारा प्रसारण निगम से 1.4.2004 से थोक प्रदाय (विद्युत क्रय विक्रय की) गतिविधि पृथक कर संबंधित अधिकार राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में समाहित कर दिये, तभी से राज्य की तीनों वितरण कम्पनियां अपनी आवश्यकता की विद्युत निर्धारित अलोकेशन के अनुसार सीधे केन्द्र या राज्य की उत्पादन इकाइयों से वितरण निगमों के लिए नवगठित राजस्थान पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर के माध्यम से क्रय कर रही है ।

स. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40 के अन्तर्गत राजकीय प्रसारण निकाय (एस.टी.यू.) द्वारा उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के लिए प्रसारण तंत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । अधिनियम की धारा 42 एवं 180 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना सं. 25 दिनांक 26.5.2004 द्वारा ओपन एक्सेस के विनियम जारी कर दिये हैं । 1 एम.वी.ए. एवं इससे अधिक भार वाले उपभोक्ता 1.4.2008 से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं । इस संदर्भ में निगम द्वारा राज्य नियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित ओपन

एक्सेस नियमों की पालना में दीर्घकालीन व लघुकालीन ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है ।

6.4 विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :-

क. प्रसारण कम्पनी में आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करना :-

प्रसारण कम्पनी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणीकरण हेतु मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा.लि. मुम्बई को चयनित किया गया, जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियमानुसार रा.रा.वि.प्र.नि. के विभिन्न कार्यालयों की आडिट की गयी। तत्पश्चात् प्रसारण कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी मानकों पर खरा उतरने के पश्चात् दिनांक 5 जून, 2008 को आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण पत्र जारी किया गया।

ख. केन्द्र सरकार की नीति (टैरिफ बेस्ड कम्पीटिटिव बिडिंग)के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से केस-1 व केस-2 के तहत ऊर्जा क्रय करना :-

मै. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लि., नई दिल्ली को केस -1 व केस-2 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करने के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया । केस-1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र से ऊर्जा क्रय हेतु राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 1000 मे.वा. बेस लोड व 1000 मे.वा. सीजनल लोड की अनुमति प्रदान की गयी। तदुपरान्त अगस्त, 2008 में ई.ओ.आई. कान्फ्रेंस तथा मार्च, 2009 में प्री बिड कान्फ्रेंस आयोजित की गयी। आर.एफ.क्यू. व आर.एफ.पी. डोक्यूमेन्ट्स दि. 25.02.2009 को जारी कर दिये गये हैं। ऊर्जा विक्रेताओं के चयन की प्रक्रिया जारी है।

केस-2 (1) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1320 मे.वा. क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र पूर्व में राजस्थान के छबडा(बारां) में प्रस्तावित था जिसे राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा अब बांसवाडा जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बांसवाडा जिले में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये भूमि चिन्हित कर ली गयी है तथा शीघ्र ही इसके अधिग्रहण की कार्यवाही की जावेगी। इस कार्य के लिये एक नई कम्पनी " बांसवाडा थर्मल पावर कम्पनी लि." का पंजीकरण रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज द्वारा करा लिया गया है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है।

केस-2 (2) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 70 मे.वा. क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुढा (पश्चिम) बीकानेर में राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनेन्स कारपोरेशन को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। भूमि चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। विद्युत उत्पादनकर्ता के चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।

ग. केन्द्र सरकार की नीति (प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा)के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा प्रसारण परियोजनाओं का विकास :-

राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रसारण परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र भागीदारी में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु एक राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया है। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी पहली बैठक में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा निजी क्षेत्र भागीदारी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय किया व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रसारण सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया संयोजक प्राधिकृत किया गया। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी दूसरी बैठक में बूम के आधार पर निविदायें जारी किये जाने का निर्णय किया। उपरोक्त निर्णयों के अनुसार रा.रा.वि.प्र.निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये निविदायें 27.02.09 को जारी की व निविदा प्रलेख 1.03.09 को जारी किये गये।

7. ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति

7.1 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम राज्य में विद्युत प्रसारण एवं विद्युत के थोक प्रदाय हेतु अधिकृत किया गया था । इस हेतु उत्पादन निगम, राज्य के अन्दर विभिन्न उत्पादन गृहों, केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं, साझेदारी परियोजनाओं आदि से विद्युत प्राप्त कर विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य मार्च,2004 तक कर रहा था। तत्पश्चात विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल,2004 से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय विक्रय केन्द्र व अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों राजस्थान पावर परचेज सेन्टर (आर.पी.पी.सी.) के माध्यम से कर रही है।

7.2 पिछले वित्तीय वर्ष (2007-08) के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में ऊर्जा उपलब्धि, विक्रय एवं प्रसारण क्षति की स्थिति निम्न प्रकार रही :

(मिलियन यूनिट)

विवरण	वर्ष 2007-08 (प्रोविजनल)	वर्ष 2008-09 (प्रोविजनल)
अ. साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन :		
क. तापीय		
1.सतपुडा	0.000	13.577
ख. पन		
1.भाखडा ब्यास परियोजना		
भाखडा	844.448	883.311
देहर	546.712	587.265
पैंग	1012.113	851.566
2.चम्बल एवं इम्पोर्ट(+)/एक्सपोर्ट(-), मध्य प्रदेश को ।	1106.616	543.286
योग (ख)	<u>3509.889</u>	<u>2865.428</u>
योग (अ)(क+ख)	<u>3509.889</u>	<u>2879.005</u>
(ब) विद्युत क्रय		
1. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.		
क. तापीय		
1.कोटा तापीय विद्युत गृह	7596.988	7856.302
2.सूरतगढ तापीय विद्युत गृह	9268.735	8841.464
3.धौलपुर कम्बाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट	967.127	2232.742
4.गिरल लिग्नाइट तापीय पावर स्टेशन	106.548	368.228
5.रामगढ गैस	358.954	315.356
योग-1 (क)	<u>18298.352</u>	<u>19614.092</u>
ख. पन		
1. माही	280.724	112.591
2. मांगरोल	6.310	3.863
3. लघु पन परियोजनायें	6.004	4.938

योग-1 (ख)	293.038	121.392
योग 1 (क+ख)	18591.390	19735.484
2.केन्द्र संचालित परियोजनायें एवं अन्य स्रोत		
क. तापीय		
1. सिंगरौली	2611.590	2607.801
2. रिहन्द	1917.366	1983.846
3. उंचाहार	794.268	769.280
4. दादरी तापीय	—	—
5. फरक्का एसटीपीएस (इआरइबी से एनटीपीसी स्टेशनस)	227.189	184.344
6. कहलगांव एसटीपीएस (इआरइबी से एनटीपीसी स्टेशनस)	358.069	514.381
7. तलचर एसटीपीएस (इआरइबी से एनटीपीसी स्टेशनस)	56.784	26.718
8. बिनानी इण्डस्ट्रीज	0.559	0.203
9. डी.सी.एम.लि(डी.एस.सी.एल)	11.888	85.225
10. आदित्य सीमेंट वर्क्स	2.107	13.701
11. अम्बूजा सीमेंट	0.037	0.094
12. हिन्दुस्तान जिंक	2.937	53.939
13. बिरला व्हाइट सीमेन्ट	0.080	0.132
14. श्री सीमेन्ट लि.	0.187	29.501
15. जे.के.लक्ष्मी	—	0.657
16. संगम इडिया लि.	—	12.830
17. संगम इडिया लि.(ओ.ए.)	—	0.131
18. बॉसवाडा सिंटेक्स लि.	—	7.199
19. नितिन स्पीनर लि.	—	4.449
20. डी.एस.सी.एल(ओ.ए.)	0.128	1.173
21. आर.एस.डब्ल्यू.एम.लि.(सीपीपी)	—	18.885
22. आर.एस.डब्ल्यू.एम.इन्ड.(ओ.ए.)	2.795	5.269
23. हिन्दुस्तान जिंक.(ओ.ए.)	12.398	15.570
24. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)	1.452	2.896
योग-2 (क)	5999.834	6338.224
ख. पन		
1. नाथपा-झाकडी	569.439	605.665
2. सलाल	94.538	88.698
3. टनकपुर	42.265	41.901
4. चमेरा	581.702	596.029
5. उरी	228.787	269.181
6. आर एफएफ	183.000	182.500
7. धौलीगंगा	138.693	136.052
8. टिहरी	233.178	289.725
9. धुलस्ती	286.193	294.934
10. ताला	46.997	57.685
योग-2 (ख)	2404.792	2562.370

ग. आणविक		
1. राज. अणु विद्युत गृह	860.928	681.227
2. नरोरा अणु विद्युत गृह	64.097	74.913
योग-2 (ग)	<u>925.025</u>	<u>756.140</u>
घ. गैस		
1. अन्ता	571.821	542.900
2. औरैया	409.984	402.493
3. दादरी	529.086	537.907
योग-2 (घ)	<u>1510.891</u>	<u>1483.300</u>
ड. पवन ऊर्जा संयंत्र		
1.आर एस पी सी एल, आर एस एम एम एवं अन्य निजी उपक्रम	<u>833.820</u>	<u>1120.612</u>
च. अन्य स्रोत		
1.यू.आई.	1023.859	517.457
2.बायलेटरल एनर्जी-अन्य क्षेत्र मे		
पी. टी. सी.	374.966	741.153
अडानी	128.666	830.721
एन. वी. वी. एन	172.635	262.098
टाटा / टी.पी.टी.सी.एल	228.509	29.739
लेन्को	142.505	135.483
जे.एस.डब्ल्यू	—	110.431
के.सी. थापर	3.524	—
रेलीन	29.285	134.502
डाइरैक्ट	67.614	—
पाटनी	1.531	—
ग्लोबल	—	25.967
जी.एम.आर.	—	100.738
पावर एक्सचेंज	—	(-)210.878
इन्टर रीजनल बायलेटरल ओपन एसेस	—	1.267
3. बायलेटरल एनर्जी- क्षेत्र के भीतर		
बैंकिंग	—	—
डाइरैक्ट	(-)56.012	63.510
टाटा	118.628	16.676
पी. टी. सी.	613.007	989.702
एन. वी. वी. एन	—	53.812
लेन्को	48.829	—
रेलीन	38.176	(-)23.619
जी.एम.आर.	—	0.246
वेनर्जी	—	0.542
रिलायन्स	—	(-)5.736
बैंकड एनर्जी, हिन्दुस्तान जिंक की	5.204	2.828
बैंकड एनर्जी, श्री सीमेन्ट की	0.145	0.560
बैंकड एनर्जी,आर.एस.डब्ल्यू.एम.एम.की	—	0.221

4.एक्सचेंज / ट्रेडर को विक्रय हेतु क्रय		
श्री सीमेन्ट इंजे., पावर एक्सचेंज को	—	74.928
डी.एस.सी.एल.इंजे., पावर एक्सचेंज को	—	35.470
आर.एस.डब्ल्यू.एम.इंजे., पावरएक्सचेंज को	—	98.961
हिन्दुस्तान जिंक लि.इंजे., पावरएक्सचेंज को	—	8.803
योग-2 (च)	<u>2941.071</u>	<u>3995.583</u>
योग 2 (क+ख+ग+घ+ङ.+च)	<u>14615.433</u>	<u>16256.228</u>
कुल ऊर्जा क्रय योग (ब)(1+2)	<u>33206.823</u>	<u>35991.712</u>
(स) सकल ऊर्जा उपलब्धि (उत्पादन+क्रय)	<u>36716.712</u>	<u>38870.717</u>
(द) ग्रिड सब- स्टेशनों पर सहायक तंत्र में प्रयुक्त ऊर्जा	(-)18.165	(-)19.235
(य) राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा	<u>34536.040</u>	<u>36460.398</u>
(र) अन्य राज्यों तथा कामन पुल द्वारा ली गयी उर्जा	572.417	606.596
(ल) कुल प्रसारण क्षति	2180.672	2410.319
(व) कुल प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ल\div स) \times 100\}$	5.94	6.20
(क) राज्य के भीतर प्रसारण तंत्र में शुद्ध प्रवाह	36120.762	38207.606
(ख) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति	1584.722	1747.208
(ग) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ख\div क) \times 100\}$	4.39	4.57
(घ) उत्तरी ग्रिड से ऊर्जा क्रय	14889.275	16466.676
(ङ.) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति	595.950	663.111
(च) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ङ.\div घ) \times 100\}$	4.00	4.03

8. वर्ष 2008-09 में (दिसम्बर, 08तक) नियोजित निगम कर्मचारी

प्रसारण निगम में विभिन्न पदों पर तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं । वर्ष 2008-09 में (दिसम्बर,08 तक) नियोजित निगम कर्मचारियों की संख्या व उनका प्रतिशत अनुपात निम्न था :

कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत
1. तकनीकी :		
क. अधिकारी	795	9.77
ख. कनिष्ठ अभियन्ता	1126	13.84
ग. अधीनस्थ	4070	50.04
योग-1	5991	73.65
2. गैर तकनीकी:		
क. अधिकारी	60	0.74
ख. मंत्रालयिक	1332	16.38
ग. चतुर्थ श्रेणी	751	9.23
योग-2	2143	26.35
सकल योग (1+2)	8134	100.00

9. राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अनुपालना

9.1 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 2 जनवरी, 2000 से कार्य करना शुरू किया। राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम, 1999 के बाद राजस्थान विद्युत नियामक के अन्तर्गत प्रसारण एवं वितरण आदि हेतु लाइसेंस देना, विद्युत दरों के निर्धारण आदि कार्य इस आयोग में निहित हैं।

9.2 मल्टी ईयर टैरिफ याचिका – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 6.1.2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 5.3(एच)(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिये मल्टी ईयर टैरिफ याचिका दिनांक 26.03.2009 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गयी। आयोग द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2009 को प्रोविजनल टैरिफ हेतु अन्तरिम आदेश जारी कर दिये हैं।

9.3 वार्षिक राजस्व आवश्यकता व टैरिफ संबंधी प्रस्ताव – राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2009 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर ने वर्ष 2009-10 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता, प्रसारण टैरिफ व एस.एल.डी.सी. प्रभार याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु 26 मार्च, 2009 को प्रस्तुत कर दी गयी। आयोग द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2009 को अन्तरिम आदेश जारी कर दिये गये हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2009 के आदेश की अनुपालना में वर्ष 2009-10 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिये मल्टी ईयर टैरिफ व वर्ष 2007-08 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता की टूटिंग-अप की संशोधित याचिका दिनांक 24.04.09 को विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गयी।

9.4 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रसारण निगम को माह अप्रैल, 2001 में जारी लाइसेंस की शर्तों की अनुपालना में निम्न प्रगति हुयी :-

1. आवासीय विद्युत अभियन्ता की नियुक्ति।
2. अंकेक्षक के रूप में वर्ष 2008-09 के लिये कम्पनी की नियुक्ति अभी होनी है।
3. पृथक लेखा संधारण।
4. परीक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं रख रखाव।
5. विनियोग नियमन।
6. सुरक्षा मापदण्ड- सुरक्षा मापदण्डों की स्वीकृति राजस्थान विनियामक आयोग द्वारा माह अगस्त, 2003 में जारी की गयी एवं क्रियान्वयन हेतु उक्त सुरक्षा मापदण्डों की प्रतिलिपि को निगम के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।
7. राजस्थान ग्रिड हेतु ट्रांसमिशन एवं बल्क सप्लाई परफोरमेन्स स्टेन्डर्ड रेगुलेशन, 2004 विनियामक आयोग के द्वारा माह अप्रैल, 2004 में जारी किया गया। प्रसारण निगम ने वर्ष 2007-08 में प्राप्त किये गये कार्य सम्पादन मापदंड की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आयोग को अगस्त 2008 में प्रस्तुत कर दी है।
8. शत प्रतिशत मीटर लगाने का कार्य- आयोग के निर्देशानुसार प्रसारण निगम के 220 व 132 के.वी. सब-स्टेशनों से विद्युत वितरण को विद्युत ले जाने वाली सभी लाइनों व उत्पादन केन्द्रों से निकलने वाली सभी लाइनों पर शत प्रतिशत मीटर लगा दिये गये हैं।
9. विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत मई, 2007 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग मीटरींग विनियम 2007 जारी कर दिया गया था जिसे निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

10. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2008 स्वीकृत किया गया है जो कि पहले के स्वीकृत ग्रीड कोड भाग-1 के स्थान पर मान्य होगा, जिसे निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

10. प्रसारण कम्पनी में निहित कुल आस्तियां एवं दायित्व

10.1 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में निहित विभिन्न दीर्घकालीन तथा चालू आस्तियां व दायित्व मार्च, 2008 में वर्ष 2007 की तुलना में निम्न थे :

(रूपये करोड़ों में)

विवरण	31.3.2007 को	31.3.2008 को
क. आस्तियां		
दीर्घकालिक आस्तियां		
सकल स्थिर आस्तियां	3888	4482
संचित मूल्य ह्रास	1559	1677
शुद्ध स्थिर आस्तियां	2329	2805
चालू पूँजीगत व्यय	536	656
इन्वेस्टमेंट	1	1
कुल दीर्घकालिक आस्तियां	2866	3462
चालू आस्तियां		
नकद और बैंक अतिशेष	149	68
सकल स्टाक	86	78
घटाइये-अनुपयोगी भण्डारों के लिए प्रोविजन	8	8
शुद्ध स्टाक	78	70
विद्युत के विक्रय से सकल प्राप्य (वितरण निगमों सहित)	899	900
घटाइये-डूबत और शंकास्पद ऋण के लिये प्रोविजन	—	—
शुद्ध प्राप्य	899	900
उपदान प्राप्य	695	691
अन्य प्राप्य	566	378
घटाइये-अन्य प्राप्यों के लिए प्रोविजन	—	—
शुद्ध अन्य प्राप्य	566	378
कुल चालू आस्तियां	2387	2107
कुल आस्तियां	5253	5569

ख. दायित्व :		
शुद्ध मूल्य		
राजस्थान सरकार की इक्विटी	814	939
अनुदान और पूँजीगत सब्सिडी	127	133
कुल शुद्ध मूल्य	941	1072
दीर्घकालिक उधार		
राजस्थान सरकार के उधार	204	204
अन्य उधार	3226	3298
कुल दीर्घकालिक उधार		
अल्पकालीन कार्यशील पूँजी हेतु उधार		
संदेय लेखे	882	995
कुल वर्तमान दायित्व	882	995
स्टाफ टर्मीनल व अन्य दायित्व		
पेंशन व ग्रेच्युटी बांड (विद्यमान कर्मचारी)	—	—
पेंशनरो के बांड (विद्यमान पेंशनर)	—	—
समाश्रित दायित्वों को मान्यता	—	—
स्टॉफ टर्मीनल व अन्य दायित्व	—	—
कुल दायित्व	5253	5569